


पत्रावली पेश कर अर्थवकील दि. 7.8.24

को पेश होवे।



Not pro

07.08.2024

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान
उपस्थित। वकील प्रार्थी प्रकरण में
न्यायालय की सब तक की कार्यवाही
से संतुष्ट हैं एवं आगे कार्यवाही
नहीं चाहते हैं। वकील वादी ने नोट
प्रेस करने का निवेदन किया। वकील
प्रार्थी द्वारा नोट-प्रेस किसे जाने
के आधार पर प्रार्थना-पत्र खारिज
किया जाता है। पत्रावली फॉर्मल
शुमार होकर बाद तकमील दाखिल
दफ्तर होवे। संलग्न मूल वाद रहे।

